मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की। राज्यपाल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह शिष्टाचार भेंट थी।

33 प्रतिशत महिला आरक्षण पर बार काउन्सिल को पक्षकार बनाया

- राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में यह आदेश दिये।

जयपुर, 2 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर, द बार एसोसिएशन जयपुर सहित प्रदेश की बार एसोसिएशन चुनाव में महिला अधिवक्ताओं को 33 फीसदी आरक्षण नहीं देने के मामले में बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने को कहा है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता हेमा तिवाड़ी की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट बार और द बार एसोसिएशन को नोटिस तामील होने के बाद भी, उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ है। ऐसे में लगता है कि उन्हें महिला आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है।

सुनवाई के दौरान, बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान (बी.सी.आर.) की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता स्वयं बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान का चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में व्यक्तिगत हितों को लेकर जनहित याचिका पेश नहीं हो सकती। वहीं, महिला आरक्षण को लेकर नियम बनाने का अधिकार बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को है और याचिका में बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया (बी.सी.आई.) को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने बी.सी.आई. को पक्षकार बनाने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को रखी है।

जनहित याचिका में कहा गया कि नारी शक्ति वंदन अभियान-2023 के तहत, महिला आरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसके तहत महिलाओं को संसद में 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2024 को अदिति चौधरी बनाम बार काउन्सिल ऑफ दिल्ली व अन्य के मामले में बार काउन्सिल ऑफ दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह बार काउन्सिल के चुनावों में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी 33 फीसदी सीट आरक्षित रखे। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने भी बी.सी.आर. को महिला अधिवक्ताओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए 28 अगस्त को प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उसके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के पद पर महिला नियुक्त हो चुकी हैं, लेकिन बी.सी.आर. में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पद पर कभी भी कोई महिला नियुक्त नहीं हुई। इसलिए बी.सी.आर., हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर सहित अन्य जिला बार एसोसिएशनों में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए।

'केन्द्र सरकार बंगलादेश में संयुक्त राष्ट्र सेना तैनात कराये'

कोलकाता, 02 दिसंबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बंगलादेश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संकटग्रस्त देश में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की तैनाती के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया।

बनर्जी ने विधानसभा में कहा, हम बंगलादेश के मामलों पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा रुख स्पष्ट है कि बंगलादेश पर केंद्र जो भी फैसला करेगा, हम सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई आना चाहे और साथ में खाना

- ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, केन्द्र बंगलादेश पर जो भी फैसला करेगा, हम उसका साथ देंगे।

खाए, तो हम उसे समायोजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति की मांग हो, तो राज्य विधानसभा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन की तैनाती के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगलादेश में सताए गए भारतीयों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया।

बनर्जी ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से संसद सत्र के दौरान बंगलादेश की स्थिति के बारे में भारत के रुख पर बयान देने की भी मांग की।

'पहले साल में 47 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलाम कर देश में पहला स्थान'

मुख्यमंत्री ने खान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर काम करने को कहा

- मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने 5 साल में 34 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलाम किये थे, यह सरकार एक वर्ष में 47 ब्लॉक नीलाम कर चुकी है। इसी प्रकार पिछली सरकार ने अप्रधान, खनिज के 5 साल में 286 प्लॉट नीलाम किये, जबकि, यह सरकार एक वर्ष में 426 प्लॉट्स नीलाम कर चुकी है।
- समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान व पेट्रोलियम टी. रविकांत ने प्रस्तुतिकरण देकर विभाग के कार्यक्रमों, नवाचारों व योजनाओं की जानकारी दी।

जयपुर, 2 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं तथा लगभग 30 लाख लोगों को खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज सम्पदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग खनन खोज कार्य में तेजी लाते हुए, नये खनन क्षेत्रों की पहचान करे तथा नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, यह बेहद हर्ष का विषय है कि वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स नीलाम कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि गत सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 34 ब्लॉक ही नीलाम किये थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह, वर्तमान सरकार ने प्रथम वर्ष में अप्रधान खनिज के खनन पट्टे हेतु 426 प्लॉट्स की नीलामी की है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 282 प्लॉट्स ही नीलाम हुए थे। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार खनन से राज्य के राजस्व को बढ़ाने एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

शर्मा ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट ने नई खनिज नीति 2024 तथा नई एम-सैण्ड नीति 2024 को मंजूरी दी है। नई खनन नीति से प्रदेश में खनन आधारित उद्योगों, औद्योगिक निवेश, युवाओं व स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं राजस्व में बढ़ोतरी होगी। साथ ही, अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी यह नीति महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि नई एम-सैण्ड नीति से प्रदेश में एम-सैण्ड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रुप में एम-सैण्ड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की प्रगति, डी.एम.एफ.टी. मद से प्राप्त राशि के सही उपयोग की गाइडलाइन, विभागीय भर्तियां, सिरैमिक एवं रेयर मैटल्स के सेन्टर ऑफ एक्सलैंस की प्रगति, भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दे सहित, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खान विभाग के कार्यक्रमों, नवाचारों एवं योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित, विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

पहली बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिन्दुओं पर हो रहे हमले का विरोध किया। उन्हें भय है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हिंसा जारी रही तो भारत में उसकी गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है।

हिंदुओं पर हमले से बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के समक्ष भारी अनिश्चितता है। वे खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी से पहले, पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना ही हिंदुओं को निशाना बनाती थी।

आज़ादी के बाद, हिंदुओं पर हमले कम होने की बजाय बढ़ गए। बदले माहौल में, जब बंगाली सत्ता में आए, तब उन्होंने ही हिन्दुओं के खिलाफ साम्प्रदायिक हिंसा की। यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में बांग्ला पहचान, मुस्लिम पहचान में कहीं खो गई है और कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इन कट्टरपंथियों को काफी हद तक नियंत्रण में रखा था। पर अब शेख हसीना नहीं हैं तथा सब कुछ कट्टरपंथियों के हाथ में है। अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। देश में ये ताकतें लगातार हिंसा कर रही हैं और इससे भारत में भी नई ताकतें उभर रही हैं, खासकर पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में।

अडानी की मुश्किलें ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चलना कठिन हो रहा है। प्रवक्ता ने कहा, "हम बाँग्लादेश पावर डिपार्टमेन्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही, सरकारी अधिकारियों के साथ निरन्तर संवाद बनाये हुये हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी बकाया राशि का मुद्दा जल्दी निबट जायेगा।"

रिपोर्टों के अनुसार, अडानी पावर की बाँग्लादेश की तरफ बकाया राशि 650 मिलियन डॉलर से बढ़कर 900 मिलियन डॉलर हो गई है। पिछले दो महीनों में, बाँग्लादेश ने 182 मिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया है।

रिपोर्ट कहती हैं कि बाँग्लादेश चाहता है कि अडानी पावर कीमतों में काफी कमी करे। लेकिन अडानी पावर के प्रवक्ता का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बाँग्लादेश अपने बिजली-खरीद-समझौते पर पुनर्विचार कर रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, बाँग्लादेश को बिजली सप्लाई करने वाले सप्लायरों की तुलना में, अडानी पावर की दरें सबसे अधिक हैं। कम्पनी की प्रति यूनिट लागत 14.87 टका है, जबकि अन्य भारतीय सप्लायरों के लिये यह लागत औसतन 9.57 टका प्रति यूनिट है।

मोदी सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाफ हंगामा कर रहा था क्योंकि आसन विपक्ष को उसके स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दे रहे थे। जयराम रमेश ने यह संकेत दे दिया है कि दोनों पीठासीन अधिकारी सरकार के दबाव में किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे थे।

अनूप बरतरिया का गिरफ्तारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बदलने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील स्पेशल मैसेन्जर से कराने को कहा है। अदालत ने यह आदेश अनूप बरतरिया व अन्य की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ 23 मई, 2024 को प्रसंज्ञान लेकर समन जारी किए थे। वहीं, 2 फरवरी, 2018 को इनके जमानती वारंट जारी किए गए। आरोपियों को अदालती आदेश की जानकारी होने के बावजूद, वे अदालत में पेश नहीं हुए। ऐसे में उन्हे विधि सम्मत तरीके से गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनका परिवादी से राजीनामा हो गया है और विवादित चेक राशि भी जमा कराई जा चुकी है।

एन.आई. एक्ट की धारा 138 जमानतीय अपराध है। उन पर जमानती वारंट की तालीम नहीं हुई है और सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जा सकते। ऐसे में गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदला जाए, जिसका विरोध करते हुए परिवादी यूको बैंक की ओर से अधिवक्ता दिनेश गर्ग ने कहा कि आरोपियों को प्रकरण की पूरी जानकारी होने के बावजूद, वे अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनके प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने से इनकार कर दिया है।

सरकारी कर्मचारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत राज्य सरकार के दिन-प्रतिदिन के तबादला आदेश में दखल देगी तो जनहित में होने वाले काम अटक जाएंगे। इसके साथ ही, अदालत ने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसरों की ओर से तबादला आदेश के खिलाफ पेश याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि यदि वे इन पदों पर कार्यग्रहण ग्रहण नहीं करते हैं तो कृषि विवि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिए। अदालत ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्था होने के चलते कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों की परिभाषा में नहीं आते हैं। राज्य सरकार इनके वित्त मामलों में ही सीमित भूमिका रखती है। ऐसे में राज्य सरकार के तबादला संबंधी आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में कीट विज्ञान के सहायक प्रोफेसर पद पर अक्टूबर, 2020 से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 4 जनवरी, 2023 को अधिसूचना जारी कर सभी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का तबादला करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं का यहां से तबादला कर दिया। इसके अलावा, नियमानुसार पांच साल के कार्यकाल से पहले उनका तबादला नहीं किया जा सकता। इसका विरोध करते हुए, कृषि विवि के अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने बताया कि विवि स्वायत्तशासी संस्था है और राज्य सरकार हाल ही में पत्र जारी कर स्पष्ट कर चुकी है कि तबादलों पर रोक का आदेश विवि पर लागू नहीं होता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता विवि में विभिन्न पदों पर करीब तीन दशकों से काम कर रहे हैं। ऐसे में कुलपति को उनका तबादला करने का पूरा अधिकार है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अकाल तख्त ने प्रकाश सिंह बादल को दोषी माना, खिताब रद्द

चंडीगढ़ , 02 दिसंबर। सर्वोच्च सिख धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक रहे दिवंगत प्रकाश सिंह बादल का 'फख्र-ए-कौम पंथ रत्न' खिताब रद्द करने की घोषणा की। संस्था का कहना था कि बादल सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को माफी देने के प्रकरण में भी संलिप्त रहे थे। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह और अन्य ने इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी को पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे को स्वीकार करने का निर्देश दिया। अकाल तख्त सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर चुका था और सोमवार को अकाली नेताओं को सज़ा सुनाई जा रही थी। अकाल तख्त ने अकाली नेताओं को दरबार साहिब परिसर में बाथरूम सफाई, बर्तन साफ करने और श्रद्धालुओं के जूते साफ करने व गुरद्वारे में कीर्तन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

'हर मतदान केन्द्र पर वोटर्स की संख्या कैसे बढ़ी?'

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि हर बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़कर 1500 कैसे हो गई

- चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस संजय कुमार की बैंच ने चुनाव आयोग को इस पर एक लघु शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई है कि 1957 से 2016 तक सभी पोलिंग बूथ पर 1200 वोटर्स की संख्या का नियम पालन हो रहा था पर एकाएक यह संख्या बढ़ा दी गई।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2025 की तारीख दी है।

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले पर उससे सोमवार को स्पष्टीकरण मांगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कई सवाल पूछे।

पीठ ने मनिंदर सिंह से पूछा कि अगर किसी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाता पहुंच जाएं तो स्थिति से कैसे निपटा जाएगा।इस पर सिंह ने कहा कि ऐसा निर्णय लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाता है। पीठ ने यह भी पूछा कि एक मतदान केंद्र में कई मतदान केंद्र हो सकते हैं, इसलिए क्या यह नीति एक मतदान केंद्र पर भी लागू होगी।

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के निर्देश देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2025 की तारीख मुकर्रर कर दी।

इससे पहले 27 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया था कि मतदाताओं की संख्या 1,200 से बढ़ ाकर 1,500 करने से वंचित समूह चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को वोट डालने में अधिक समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मतदान केंद्र पर लंबी कतारें और लंबी प्रतीक्षा अवधि मतदाताओं को वोट डालने से रोकेंगी।उन्होंने दावा किया कि यह निर्णय(मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ ाने का) मनमाना था और आंकड़ों पर आधारित नहीं था।

जनहित याचिका में चुनाव आयोग द्वारा देशभर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ ाने संबंधी प्रस्ताव को चुनौती दी गई है।

सन् 2000 के मालपुरा दंगों में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जवाहर सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में मृतक की विधवा धन्नी देवी ने 10 जुलाई, 2000 को मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि वह अपने पति हरिराम के साथ खेत पर जा रही थी। इस दौरान अभियुक्तों ने धारदार हथियार से उसके पति पर हमला बोल दिया और उसके शरीर पर कई जगह वार किए, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अभियुक्तों को समय-समय पर गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, मृतक की विधवा की ओर से अधिवक्ता वी.के. बाली और अधिवक्ता सोनल दाधीच ने अदालत को बताया कि घटना के समय मालपुरा में दो संप्रदायों के बीच दंगा हुआ था। वहीं, हरिराम और धन्नी देवी अपने खेत पर जा रहे थे। इस दौरान, अभियुक्तों ने अचानक आकर हरिराम की हत्या कर दी। मृतक की अभियुक्तों के साथ कोई रंजिश भी नहीं थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

किसानों ने दिल्ली मार्च एक सप्ताह स्थगित किया

केन्द्र सरकार को सात दिन में मांगें मानने का अल्टीमेटम

- किसानों द्वारा दिल्ली मार्च स्थगित करने व दलित प्रेरणा स्थल पर रुकने की घोषणा के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से जाम समाप्त हुआ।

नोएडा, 02 दिसंबर। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर सोमवार को दिनभर पुलिस प्रशासन की सांसें अटकी रहीं। किसान दादरी-नोएडा लिंक रोड पर महामाया फ्लाईओवर पर एकत्र हुए और सुबह करीब 11.30 बजे अपना मार्च शुरू किया। पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेड लगाए और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई। इसके कारण दिल्ली-नोएडा सीमा पर भारी जाम लग गया।

हालांकि किसानों ने एक हफ्ते के लिए अपना आंदोलन टाल दिया है, लेकिन इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही रुकेंगे। यह फैसला किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेस-वे से बैरिकेडिंग हटा दी गई और आवाजाही शुरू हो गई है।

किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन करेंगे। अगर एक हफ्ते में मांगे नहीं मानी गईं, तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर यातायात सुचारू होने से पहले करीब चार-पांच घंटे तक लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा।

किसानों की मांगें इस प्रकार हैं: पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत प्लॉट और 64.7 प्रतिशत बढ़ ा हुआ मुआवजा दिया जाए। 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 20 प्रतिशत प्लॉट दिया जाएं। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए। हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किया जाए और आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए।

'पूर्व सी.जे.आई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूजा स्थल अधिनियम-1991 के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। यही हमारी स्थिति है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। मगर इसके लिए सबसे जरूरी है कि संसद को काम करने दिया जाना चाहिए।

आज होगी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री के रूप में ढाई साल का कार्यकाल और दिया जाये। उन्होंने कहा कि शिन्दे ने प्रधानमंत्री तथा भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं को आश्वस्त कर दिया है कि भाजपा नये मुख्यमंत्री के रूप में जिसका भी चयन करती है, शिव सेना उसका समर्थन करेगी।

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने ढील देने से इंकार किया

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में ढ ील देने से इनकार करते हुए, सोमवार को कहा कि संबंधित आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही वह पांच दिसंबर को कोई छूट देने पर विचार करेगा।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सी.ए.क्यू.एम.) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की ढ ील देने की गुहार अस्वीकार करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जी.आर.ए.पी.) स्टेज-4 के तहत, तमाम प्रतिबंध फिलहाल लागू रहेंगे।

पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को भी संभल जाने से रोका

कांग्रेस नेताओं ने कहा, उन्हें रोककर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है

लखनऊ, 02 दिसंबर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने सोमवार को संभल जाने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने जिला प्रशासन द्वारा दस दिसंबर तक लगायी गयी रोक का हवाला देते हुये उन्हे जाने की अनुमति नहीं दी।

गौरतलब है कि अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के सर्वे के दौरान पिछले दिनों संभल में भड़की हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गयी थी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वह मृतक के परिजनों को ढ ाढ स बंधाने के लिये जा रहे थे, मगर तानाशाही सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन्हे जाने की अनुमति नहीं देकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एक तरफ सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही और दूसरी तरफ तानाशाही रवैया अपनाते हुए कांग्रेस नेताओं को मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने जाने से रोकने के लिए हर आलोकतांत्रिक हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार है कि वह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं और मुद्दों को सुने और सदन में उठाये। मगर योगी सरकार को इस बात का भय है कि कांग्रेस नेताओं के संभल जाने से सच बाहर आ जायेगा और वह बेनकाब हो जायेगी। राय ने कहा कि 24 नवंबर की घटना के बाद कांग्रेस ने यह एलान किया था कि हम पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आगामी दो दिसंबर को संभल जायेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा 30 नवंबर तक विपक्षी नेताओं के संभल जाने पर रोक लगा दी थी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908